भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *189

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क संरचना

***189. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, सरकारी और निजी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में निजी महाविद्यालयों के लिए चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क ढांचे का निर्धारण करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र उच्च शुल्क ढांचे के कारण एमबीबीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत छात्रों से सरकारी दरों पर शुल्क वसूलने का प्रावधान करने का है और यदि हां, तो इसे किस शैक्षणिक वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) इन दिशा-निर्देशों से प्रतिवर्ष कुल कितने छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

01 अगस्त, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 189 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) से (च): संबंधित राज्य शुल्क विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेजों के विषय में शुल्क संरचना अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती हैं। सरकार शिक्षा को और अधिक किफायती बनाने और इसके व्यावसायीकरण को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करती है। देश में चिकित्सा शिक्षा को सस्ती और आसान बनाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुल्क संरचना में सब्सिडी दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (एनएमसी), 2019 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (i) में निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभिशासित हैं, में पचास प्रतिशत (50%) सीटों के संबंध में शुल्क और अन्य सभी प्रभारों के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश तैयार करने का प्रावधान है। तदनुसार, एनएमसी ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं और इन्हें दिनांक 03.02.2022 को जारी किया गया था।

निर्धारित शुल्क संरचना का लाभ निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस/पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले 50% मेडिकल छात्रों को मिलेगा।

अनुलग्नक

वर्ष 2024-25 में देश में एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी कॉलेज	निजी कॉलेज	कुल कॉलेज
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	1
2	आंध्र प्रदेश	19	19	38
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1
4	असम	14	0	14
5	बिहार	13	9	22
6	चंडीगढ़	1	0	1
7	छत्तीसगढ	11	5	16
8	दादरा और नगर हवेली	1	0	1
9	दिल्ली	8	2	10
10	गोवा	1	0	1
11	गुजरात	23	18	41
12	हरियाणा	6	9	15
13	हिमाचल प्रदेश	7	1	8
14	जम्मू और कश्मीर	11	1	12
15	झारखंड	7	2	9
16	कर्नाटक	24	49	73
17	केरल	12	22	34
18	मध्य प्रदेश	18	13	31
19	महाराष्ट्र	42	38	80
20	मणिपुर	3	1	4
21	मेघालय	1	1	2
22	मिजोरम	1	0	1
23	नागालैंड	0	1	1
24	उड़ीसा	13	6	19
25	पुदुचेरी	2	7	9
26	पंजाब	5	8	13
27	राजस्थान	31	12	43
28	सिक्किम	0	1	1
29	तमिलनाडु	40	37	77
30	तेलंगाना	36	29	65
31	त्रिपुरा	1	2	3
32	उत्तर प्रदेश	46	40	86
33	उत्तराखंड	6	4	10
34	पश्चिम बंगाल	26	12	38

******